

स्वदेशी धान की कस्मि: क्यौंझर कालाचंपा

स्रोत: द हट्टि

ओडिशा के एक किसान ने अपनी स्वदेशी धान कस्मि, क्यौंझर कालाचंपा को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया है, तथा बीज के व्यावसायीकरण के लिये पौधा कस्मि और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) से मुआवज़े की मांग की है।

क्यौंझर कालाचंपा:

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इस कस्मि को अधिसूचित किया था। ओडिशा राज्य बीज नगिम (OSSC) और नजी कंपनियों ने इस कस्मि के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- विशेषताएँ:
 - इस कस्मि ने प्रमुख बीमारियों, कीटों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन दिखाया है।
 - यह झुकने या गरिने के प्रति प्रतिरोधी (नॉन लॉजिंग) है, उर्वरकों के प्रति अनुक्रियाशील है, समय पर की जाने वाली और साथ ही वलंब से होने वाली बुवाई के लिये उपयुक्त है, और उच्च उपज वाली कस्मि है।
 - जीवीय दबाव के प्रति इसके प्रतिरोध के कारण, इसे किसानों द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है और यह भारत की पहली परंपरागत कस्मियों में से एक थी जसि औपचारिक बीज आपूर्ति शृंखला में एकीकृत किया गया था।

जीन बैंक पहल:

- ओडिशा ने किसानों से प्राप्त धान की परंपरागत कस्मियों को संरक्षित करने के लिये एक अनूठा जीन बैंक विकसित किया है, जसिके बीजों को 50 वर्षों तक तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जा सकता है।
 - भारत ने लद्दाख के चांग ला में अपनी बीज भंडारण सुविधा स्थापित की है।

पौधा कस्मि एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA):

- इसकी स्थापना PPVFRA अधिनियम, 2001 के तहत की गई थी।
- यह प्राधिकरण पौधों की कस्मियों, किसानों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तथा नई कस्मियों के विकास को बढ़ावा देता है, और साथ ही उन किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिन्होंने पीढ़ियों से पौधों की कस्मियों का संरक्षण किया है।
 - महापंजीयक इस प्राधिकरण का पदेन सदस्य सचिव होता है।

अधिक पढ़ें: पौधा कस्मि एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA)